RNA : Real News Analysis

DAILY CURRENT AFFAIRS

UPSC, STATE PCS, SSC, RAILWAY, BANKING, DEFENCE,
और अन्य सभी सरकारी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण

DATE
दिसंबर
27
2024

Key Point

1. National News
2. International News
3. Govt. Mission, Apps
4. Awards & Honours
5. Sports News
6. Economic News
7. Newly Appointment
8. Defence News
9. Important Days
10. Technology News
11. Obituary News
12. Books & Authors

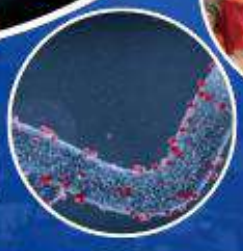

By Ankit Avasthi Sir

संरक्षित क्षेत्र व्यवस्था / Protected Area Regime

मणिपुर सरकार ने घोषणा की है कि केंद्र सरकार ने मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड में फिर से संरक्षित क्षेत्र व्यवस्था (Protected Area Regime - PAR) लागू कर दी है। ये तीनों राज्य म्यांमार की सीमा से सटे हुए हैं।

मुख्य बिंदु:

1. **फैसले का कारण:** बढ़ती सुरक्षा चिंताओं के कारण यह निर्णय लिया गया।
2. **पर्यटन पर प्रभाव:**
   - 2010 से पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए दी गई छूट खत्म कर दी गई।
   - अब विदेशी पर्यटकों को इन राज्यों में आने से पहले संरक्षित क्षेत्र परमिट (PAP) लेना अनिवार्य होगा।
3. **प्रासंगिक आदेश:** विदेशी (संरक्षित क्षेत्र) आदेश, 1958 के तहत दी गई छूट को तुरंत प्रभाव से वापस लिया गया।

क्या है संरक्षित क्षेत्र व्यवस्था?

1. **परिचय:**
   - यह व्यवस्था विदेशी (संरक्षित क्षेत्र) आदेश, 1958 के तहत लागू की गई है, जो विदेशी अधिनियम, 1946 का हिस्सा है।
   - इसका उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के पास स्थित संवेदनशील क्षेत्रों में विदेशियों की आवाजाही को नियंत्रित करना है।
2. **लागू क्षेत्र:**
   - यह आंतरिक रेखा (Inner Line) और अंतरराष्ट्रीय सीमा के बीच के क्षेत्रों पर लागू होती है।
   - मुख्य रूप से मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड जैसे राज्यों में, जो म्यांमार की सीमा से सटे हैं।
3. **उद्देश्य:**
   - राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करना।
   - संवेदनशील क्षेत्रों में विदेशी नागरिकों की गतिविधियों को सीमित करना।

संरक्षित क्षेत्र परमिट (PAP) कैसे प्राप्त करें?

प्राप्ति के स्रोत:

विदेशी नागरिक निम्नलिखित जगहों से संरक्षित क्षेत्र परमिट (PAP) प्राप्त कर सकते हैं:

1. भारतीय मिशन (Indian Missions Abroad)।
2. गृह मंत्रालय (Ministry of Home Affairs - MHA)।
3. राज्य के गृह आयुक्त (State Home Commissioners)।
4. विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय

विशेष शर्तें: अफगानिस्तान, चीन, और पाकिस्तान के नागरिकों तथा उनके मूल के व्यक्तियों को MHA से पूर्व स्वीकृति लेनी अनिवार्य है।

अनिवार्य पंजीकरण: इन तीन राज्यों में आने वाले सभी विदेशी नागरिकों को विदेशी पंजीकरण अधिकारी (FRO) के पास आगमन के 24 घंटे के भीतर पंजीकरण कराना होगा।

म्यांमार के नागरिकों के लिए विशेष नियम: म्यांमार के नागरिक, जिन्हें पहले छूट दी गई थी, अब उन्हें भी आगमन के 24 घंटे के भीतर FRRO के पास अनिवार्य रूप से पंजीकरण कराना होगा।

संरक्षित क्षेत्र व्यवस्था (PAR) क्यों लागू की गई?

1. अवैध प्रवासियों का आगमन:

- मणिपुर, नागालैंड और मिजोरम म्यांमार की सीमा से सटे हैं, जहां 2021 में हुए सैन्य तख्तापलट के बाद से अस्थिरता बनी हुई है।
- म्यांमार के कुकी-चिन-जो जातीय समूह के 40,000 से अधिक शरणार्थी मिजोरम में आ चुके हैं, और हजारों मणिपुर में भी हैं।
- इन शरणार्थियों और स्थानीय समुदायों के बीच जातीय संबंधों के कारण सुरक्षा बनाए रखना चुनौतीपूर्ण हो गया है।

2. मणिपुर में जातीय हिंसा:

- 3 मई, 2023 से मणिपुर में कुकी-जो आदिवासी समुदाय और मैतेई समुदाय के बीच संघर्ष हो रहे हैं।
- इन हिंसाओं में अब तक 250 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है और 60,000 लोग विस्थापित हुए हैं।
- राज्य सरकार को इन संघर्षों में "विदेशी ताकतों" की संलिप्तता का संदेह है।

3. सीमा प्रबंधन और मुक्त आवागमन व्यवस्था का निलंबन:

- भारत और म्यांमार के बीच 1,643 किमी लंबी सीमा है।
- मुक्त आवागमन व्यवस्था (Free Movement Regime - FMR) के तहत 16 किमी के दायरे में बिना किसी रोक-टोक के आवाजाही की अनुमति थी।
- इस व्यवस्था के निलंबन ने सुरक्षा जोखिम और सीमा नियंत्रण संबंधी चिंताओं को और बढ़ा दिया है।

प्रभाव:

विदेशी नागरिकों पर प्रभाव:

- इन क्षेत्रों में आने के लिए विशेष परमिट और सरकारी स्वीकृति अनिवार्य।
- इससे पर्यटन पर नकारात्मक असर पड़ सकता है।

पर्यटन और विकास पर प्रभाव:

- अंतरराष्ट्रीय पर्यटन और निवेश में कमी आ सकती है।
- पहले दी गई छूट के कारण हुए लाभ समाप्त हो सकते हैं।

सुरक्षा में सुधार: विदेशी नागरिकों की गतिविधियों पर सख्त निगरानी से अवैध प्रवास को रोका जा सकेगा।

सीमा प्रबंधन: सीमावर्ती क्षेत्रों में अनधिकृत गतिविधियों और घुसपैठ को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी।

संविधान और व्यक्तिगत गरिमा / Constitution and personal dignity

सुप्रीम कोर्ट ने विभिन्न ऐतिहासिक फैसलों में अनुच्छेद 21 के संदर्भ में जीवन के अधिकार और व्यक्तिगत गरिमा के महत्व को विशेष रूप से रेखांकित किया है।

मुख्य चिंता: सामुदायिक पहचान और व्यक्तिगत स्वतंत्रता:

सामुदायिक पहचान, चाहे जाति, धर्म, या राष्ट्र पर आधारित हो, अक्सर व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर असर डाल सकती है।

- **व्यक्तिगत अभिव्यक्ति पर बाधा:** यह पहचान व्यक्ति की स्वतंत्रता और स्वायत्तता को सीमित कर सकती है।
- **यूनिकता की अवहेलना:** व्यक्ति को केवल एक समूह का हिस्सा मानने से उनकी विशिष्टता और व्यक्तिगत मूल्य को नजरअंदाज किया जाता है।
- **श्रेणीकरण की समस्या:** लोगों को उनकी क्षमताओं और व्यक्तित्व की बजाय सामुदायिक पहचान के आधार पर आंका जाता है।

संविधान की भूमिका व्यक्तिगत गरिमा की रक्षा में:

भारतीय संविधान नागरिकों की गरिमा और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए एक मजबूत ढांचा प्रदान करता है।

1. **व्यक्तिगत अधिकारों का संरक्षण:**
   - संविधान के भाग III में प्रदत्त मौलिक अधिकार, जैसे:
     - **अनुच्छेद 14:** समानता का अधिकार।
     - **अनुच्छेद 19-22:** स्वतंत्रता का अधिकार।
     - **अनुच्छेद 21:** जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार।
   - ये अधिकार सभी नागरिकों की गरिमा सुनिश्चित करते हैं।
2. **न्यायिक व्याख्या का महत्व:**
   - **मेनका गांधी बनाम भारत संघ (1978)** मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 21 का दायरा बढ़ाया। अदालत ने स्पष्ट किया कि किसी भी कानून को जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता छीनता है, वह निष्पक्षता, न्याय और विवेकपूर्णता की कसौटी पर खरा उतरना चाहिए।
3. **राजनीतिक समानता:**
   - संविधान अनुच्छेद 326 के तहत सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार प्रदान करता है, जो सभी नागरिकों को लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में समान भागीदारी का अधिकार देता है।
   - यह नागरिकों की राजनीतिक गरिमा और समावेशन के अधिकार को सुनिश्चित करता है।
4. **संस्थागत संतुलन:**
   - शक्ति के दुरुपयोग को रोकने के लिए संविधान ने संस्थागत संतुलन और नियंत्रण का प्रावधान किया है।

व्यक्तिगत गरिमा को प्रभावित करने वाले सामाजिक और प्रणालीगत मुद्दे:

सामुदायिक पहचान बनाम व्यक्तिगत अधिकार:

- जाति, धर्म, और राष्ट्रीयता जैसी सामुदायिक पहचानों पर अत्यधिक जोर व्यक्तिगत गरिमा को कमजोर कर सकता है।
- जब सामाजिक दृष्टिकोण सामूहिक पहचान को व्यक्तिगत अधिकारों से ऊपर रखते हैं, तो यह भेदभाव और हाशिएकरण को जन्म देता है।

सामाजिक विश्वास और सहयोग की कमी:

- नागरिकों के बीच अविश्वास सामूहिक प्रयासों को कमजोर करता है, जिससे संवैधानिक मूल्यों को अपनाने में कठिनाई होती है।
- कठोर पहचान के आधार पर दूसरों का मूल्यांकन व्यक्तिगत स्वतंत्रता और गरिमा के संवैधानिक आदर्शों को कमज़ोर करता है।

धन और शक्ति का केंद्रीकरण:

- लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में धन और शक्ति का असंतुलित वितरण कुछ समूहों के हितों को प्राथमिकता देता है।
- यह प्रणालीगत समस्या व्यक्तिगत अधिकारों और गरिमा की संवैधानिक सुरक्षा को कमजोर कर सकती है।

कानूनी ढांचा और बदलती गरिमा:

संविधान का लचीलापन और गरिमा की रक्षा:

1. मूल संरचना सिद्धांत:

- **केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य (1973)** में स्थापित यह सिद्धांत संविधान के महत्वपूर्ण सिद्धांतों जैसे गरिमा को सुरक्षित रखता है।
- **उदाहरण: 103वां संवैधानिक संशोधन (2019):** आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) को शिक्षा और नौकरी में 10% आरक्षण दिया गया।

2. लोकतांत्रिक संवाद: संविधान न्याय और समानता से जुड़े विषयों पर चर्चा और बदलाव की अनुमति देता है।

- **उदाहरण: ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकार संरक्षण) अधिनियम, 2019:** इस कानून ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकार और सम्मान को मान्यता दी।

घरेलू प्रवास रिपोर्ट / Report on Domestic Migration

2023 में घरेलू प्रवासियों की संख्या में लगभग 12% की कमी आई है, जो 45.57 करोड़ से घटकर 40.20 करोड़ हो गई है। इसके साथ ही प्रवासन दर भी करीब 38% से घटकर लगभग 29% तक पहुँच गई है।

मुख्य बिंदु:

1. **घरेलू प्रवासन में कमी**:
   - 2011 से 2023 के बीच घरेलू प्रवासियों की संख्या में लगभग 12% की कमी।
   - 2011 में 45.57 करोड़ प्रवासी थे, जबकि 2023 में यह संख्या घटकर 40.20 करोड़ रह गई।
2. **आर्थिक सलाहकार परिषद (EAC-PM) की रिपोर्ट**:
   - 2023 में कुल घरेलू प्रवासियों की संख्या 40,20,90,396 दर्ज की गई।
   - पिछले एक दशक में प्रवासन पैटर्न में बदलाव को दर्शाता है।
3. **प्रवासन दर में गिरावट**:
   - 2011 में प्रवासन दर कुल जनसंख्या का 37.64% थी।
   - 2023 में यह घटकर 28.88% हो गई।
   - देश के भीतर घरेलू प्रवासन में गिरावट का संकेत।
4. **प्रवासन के स्वरूप**:
   - छोटे दूरी के प्रवासन का दबदबा, बड़ी दूरी के प्रवासन पर नकारात्मक प्रभाव।
   - प्रवासन मुख्य रूप से बड़े शहरी केंद्रों जैसे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु, और कोलकाता के आसपास से होता है।
5. **प्रमुख प्रवासन मार्ग**:
   - राज्य स्तरीय प्रमुख प्रवासन मार्ग: यूपी-दिल्ली, गुजरात-महाराष्ट्र, तेलंगाना-आंध्र प्रदेश, बिहार-दिल्ली।
6. **प्रवासी हिस्सेदारी में बदलाव**:
   - **प्रवासी हिस्सेदारी में वृद्धि:** पश्चिम बंगाल, राजस्थान, और कर्नाटक।
   - **प्रवासी हिस्सेदारी में कमी**: महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश।

प्रवासियों की संख्या में कमी के कारण:

1. मूल स्थानों पर बेहतर बुनियादी ढाँचा (सड़कें, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, सार्वजनिक परिवहन)।
2. सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की उपलब्धता।
3. ग्रामीण क्षेत्रों के पास रोजगार के अवसर बढ़ने से स्थानीय आर्थिक विकास।

घरेलू प्रवासियों के कल्याण के लिए उठाए गए कदम:

1. **अंतर-राज्य प्रवासी श्रमिक अधिनियम, 1979**: प्रवासी श्रमिकों के मानवाधिकारों की रक्षा के लिए।
2. **आयुष्मान भारत योजना (PMJAY)**: प्रवासी श्रमिकों को द्वितीयक और तृतीयक स्वास्थ्य लाभ के लिए 5 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा।
3. **वन नेशन वन राशन कार्ड योजना**: प्रवासियों और उनके परिवारों को पूरे देश में राशन कार्ड की पोर्टेबिलिटी की सुविधा।

प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद (EAC-PM):

1. **परिचय**:
   - प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद (EAC-PM) एक स्वतंत्र सलाहकार निकाय है।
   - इसका उद्देश्य भारत सरकार, विशेष रूप से प्रधानमंत्री को आर्थिक मुद्दों पर सलाह और सिफारिशें देना है।
2. **स्वतंत्र सलाहकार निकाय**:
   - यह ऐसा समूह है जो विशेषज्ञ सलाह और सिफारिशें प्रदान करता है।
   - यह किसी सरकारी या राजनीतिक इकाई के सीधा प्रभाव या नियंत्रण में नहीं होता।
3. **सदस्यों की नियुक्ति**:
   - प्रधानमंत्री के पास EAC-PM के सदस्यों की नियुक्ति करने का अधिकार होता है।

ऑस्टियोसारकोमा / Osteosarcoma

यूनिवर्सिटी ऑफ़ ईस्ट एंग्लिया (UEA) के शोधकर्ताओं ने पहली बार एक दुर्लभ प्रकार के हड्डी के कैंसर, ऑस्टियोसारकोमा, के तीन अलग-अलग उपप्रकारों की पहचान की है। यह खोज नैदानिक परीक्षणों और रोगी देखभाल में महत्वपूर्ण बदलाव ला सकती है।

मुख्य बिंदु:

ऑस्टियोसारकोमा का स्वरूप:

- यह कैंसर हड्डियों में शुरू होता है और मुख्य रूप से बच्चों और किशोरों को प्रभावित करता है।
- 1970 के दशक से इसका इलाज अलक्षित कीमोथेरेपी और सर्जरी द्वारा किया जा रहा है।

पहली बार उपप्रकारों की पहचान:

- UEA के शोधकर्ताओं ने तीन अलग-अलग उपप्रकार खोजे।
- यह खोज क्लिनिकल परीक्षणों और उपचार विधियों में नई संभावनाएँ खोल सकती है।

तकनीकी दृष्टिकोण:

- इस अध्ययन में, शोधकर्ताओं ने लेटेंट प्रोसेस डीकंपोजिशन (LPD) नामक एक अधिक उन्नत विधि का उपयोग किया, जो व्यक्तिगत ट्यूमर के भीतर अंतर को ध्यान में रखता है।

LPD की विशेषताएँ और कार्यक्षमता:

1. **ट्यूमर का विश्लेषण**:
   - पारंपरिक तरीकों के विपरीत, LPD ट्यूमर को एक समान संरचना के बजाय "जीन गतिविधि के छिपे हुए पैटर्न" के मिश्रण के रूप में देखता है।
   - यह ट्यूमर की "कार्यात्मक अवस्थाओं" को उजागर करता है, जिनका प्रत्येक का अपना विशिष्ट जीन अभिव्यक्ति पैटर्न होता है।
2. **उपसमूहों की पहचान**:
   - LPD विधि का उपयोग करके शोधकर्ताओं ने ऑस्टियोसारकोमा के तीन अलग-अलग उपप्रकारों की पहचान की।
   - इनमें से एक उपप्रकार को MAP नामक मानक कीमोथेरेपी के प्रति खराब प्रतिक्रिया मिली।
3. **रोगियों को वर्गीकृत करने में मदद**:
   - इस तकनीक के जरिए डॉक्टर रोगियों को उनके उपसमूह के अनुसार वर्गीकृत कर सकते हैं।
   - यह व्यक्तिगत और लक्षित उपचार विधियों के लिए अधिक सटीकता प्रदान करता है।
4. **शोध का महत्व:**
   - पिछले 50 वर्षों में ऑस्टियोसारकोमा पर नए दवाओं के नैदानिक परीक्षण असफल रहे हैं।
   - शोध में पाया गया कि 'असफल' परीक्षणों में नई दवा के लिए 5-10% की प्रतिक्रिया दर थी, जो उपप्रकारों के अस्तित्व का संकेत देती है।

ऑस्टियोसारकोमा क्या है?

ऑस्टियोसारकोमा एक प्रकार का हड्डी का कैंसर है, जो आमतौर पर हाथों या पैरों की लंबी हड्डियों में शुरू होता है। यह हड्डी के अंत में जोड़ों के पास, जैसे घुटनों, कूल्हों या कंधों के पास विकसित होता है।

प्रभावित हड्डियाँ:

1. **सबसे अधिक प्रभावित हड्डियाँ**:
   - **शिन बोन (टिबिया)**
   - **जांघ की हड्डी (फीमर)**
   - **ऊपरी भुजा की हड्डी (ह्यूमरस)**
2. **कम सामान्य स्थान**:
   - **जबड़ा (जॉ)**
   - **श्रोणि (पेल्विस)**
   - **खोपड़ी (स्कल)**
   - **पेट और छाती के सॉफ्ट टिशू या अंग।**

लक्षण:

1. हड्डी में दर्द
2. जोड़ों में सीमित गति।
3. हड्डी के पास गांठ या सूजन।
4. त्वचा पर रंग में बदलाव।
5. बुखार।
6. अचानक हड्डी टूटना (उन चोटों से जो सामान्य परिस्थितियों में इतनी गंभीर नहीं होती)।

जोखिम कारक:

1. **उम्र**: 25 वर्ष से कम आयु के लोग, विशेष रूप से किशोर (औसत उम्र 15 वर्ष)।
   - हर 4 में से 3 रोगी किशोर होते हैं।
2. **पूर्व कैंसर उपचार**:
   - रेडिएशन थेरेपी।
   - अल्काइलेटिंग एजेंट्स (कैंसर दवाएँ)।

उपचार और सफलता दर:

- विभिन्न उपचार उपलब्ध हैं।
- यदि कैंसर अन्य भागों में नहीं फैलता, तो 7 में से 10 रोगी जीवित रहते हैं।

केन-बेतवा लिंक परियोजना / Ken-Betwa Link Project

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केन-बेतवा नदी जोड़ने के राष्ट्रीय परियोजना का शिलान्यास किया, जो राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना (NPP) के तहत पहला परियोजना है, जिसे 1980 में परिकल्पित किया गया था। यह परियोजना पन्ना टाइगर रिजर्व के मुख्य क्षेत्र के 10 प्रतिशत से अधिक हिस्से को जलमग्न कर देगी।

केन-बेतवा लिंक परियोजना (KBLP):

परियोजना के बारे में:

- केन-बेतवा लिंक परियोजना (KBLP) का उद्देश्य केन नदी से बेतवा नदी तक जल स्थानांतरण करना है।
- दोनों नदियाँ यमुना की सहायक नदियाँ हैं।
- परियोजना में 221 किलोमीटर लंबी नहर और 2 किलोमीटर लंबी सुरंग का निर्माण होगा।
- मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में दौधन पर केन नदी पर 73.8 मीटर ऊँचाई का एक बांध भी निर्माण होगा।

केन-बेतवा इंटरलिंकिंग परियोजना का इतिहास:

- परियोजना 1980 के दशक में परिकल्पित की गई थी।
- जल-वितरण समझौता न होने के कारण परियोजना रुकी रही।
- 2015 में काम शुरू होना था, लेकिन पिछले साल एक नया समझौता हुआ।
- 22 मार्च 2021 को जल शक्ति मंत्रालय और मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश सरकारों के बीच समझौता ज्ञापन (MoA) पर हस्ताक्षर किए गए।

परियोजना के चरण:

1. **चरण-1:**
   - दौधन बांध परिसर, लो लेवल सुरंग, हाई लेवल सुरंग, केन-बेतवा लिंक नहर और पावरहाउस का निर्माण।
2. **चरण-2:**
   - लोवर ओर डेम, बीना कॉम्प्लेक्स परियोजना और कोठा बैराज का निर्माण।

परियोजना की समाप्ति: जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार, KBLP परियोजना को आठ वर्षों में पूरा किया जाने का प्रस्ताव है।

परियोजना से लाभान्वित होने वाले क्षेत्र: यह परियोजना बुंदेलखंड क्षेत्र को लाभान्वित करेगी, जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के 13 जिलों में फैला हुआ है। प्रमुख लाभार्थी जिले निम्नलिखित हैं:

- **मध्य प्रदेश:** पन्ना, टीकमगढ़, छतरपुर, सागर, दमोह, दतिया, विदिशा, शिवपुरी, और रायसेन।
- **उत्तर प्रदेश:** बांदा, महोबा, झांसी, और ललितपुर।

यह परियोजना इस सूखाग्रस्त क्षेत्र में जल संकट को दूर करने, विकास को बढ़ावा देने और भविष्य में नदी जोड़ने की पहलों के लिए मार्ग प्रशस्त करने का उद्देश्य रखती है।

पर्यावरण और सामाजिक चिंताएँ:

पर्यावरणीय प्रभाव:

- **पन्ना नेशनल पार्क में वन कटाई:** परियोजना के कारण पन्ना नेशनल पार्क के लगभग 98 वर्ग किमी क्षेत्र में जलमग्न होगा और 20 से 30 लाख पेड़ काटे जाएंगे।

वन्यजीवों के लिए खतरा:

- बाघ: दौधन डेम, जो पन्ना नेशनल पार्क के अंदर स्थित है, बाघ पुनर्वास कार्यक्रम को प्रभावित कर सकता है, जो 2009 में स्थानीय रूप से विलुप्त हो जाने के बाद बाघों की जनसंख्या को फिर से जीवित करने में सफल रहा।
- **घड़ियाल और गिद्ध:** केन घड़ियाल अभयारण्य में घड़ियालों की संख्या पर असर पड़ सकता है और निचले इलाकों में गिद्धों के घोंसले भी प्रभावित हो सकते हैं।

हाइड्रोलॉजिकल चिंताएँ:

- IIT-बॉम्बे के वैज्ञानिकों का चेतावनी है कि परियोजना भूमि-आत्मवायू प्रतिक्रिया में विघटन के कारण सितंबर में वर्षा 12% तक घट सकती है।
- विशेषज्ञों का सुझाव है कि केन नदी के हाइड्रोलॉजिकल डेटा में पारदर्शिता होनी चाहिए ताकि परियोजना का पूरी तरह से मूल्यांकन किया जा सके।

महत्व:

- **जल संकट का समाधान:** बुंदेलखंड में सूखा जैसे हालातों को कम करने के लिए वर्षभर सिंचाई सुनिश्चित करेगा।
- **कृषि में सुधार:** 10.62 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि को लाभ मिलेगा, जिससे फसल उत्पादन और किसानों की आय में वृद्धि होगी।
- **पीने के पानी की आपूर्ति:** मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के लगभग 62 लाख लोगों को पानी उपलब्ध होगा, जिससे सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार होगा।
- **ऊर्जा उत्पादन:** 130 मेगावाट (103 मेगावाट जल विद्युत + 27 मेगावाट सौर ऊर्जा) उत्पादन, ग्रामीण क्षेत्रों में नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता बढ़ेगी।
- **बुंदेलखंड का विकास:** सामाजिक-आर्थिक वृद्धि, ग्रामीण संकट और प्रवासन में कमी, और औद्योगिक विस्तार को बढ़ावा मिलेगा।

सुनामी / Tsunami

26 दिसंबर 2024, 2004 में आए भारतीय महासागर के भूकंप और सुनामी की 20वीं वर्षगांठ है, जिसने सुमात्रा तट के पास 9.1 तीव्रता के भूकंप के कारण सुनामी को जन्म दिया और सुनामी विज्ञान व आपदा तैयारी के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन लाए।

2004 भारतीय महासागर सुनामी के बारे में:

- **घटना:** 2004 की सुनामी 26 दिसंबर को सुंडा ट्रेंच में 9.1 तीव्रता के भूकंप के कारण आई।
- **प्रभाव:** यह आपदा 14 देशों को प्रभावित किया, जिनमें इंडोनेशिया, श्रीलंका, भारत, और थाईलैंड शामिल हैं।
- **मानवीय क्षति:** 2,27,000 से अधिक लोग मारे गए, इसे इतिहास के सबसे घातक प्राकृतिक आपदाओं में से एक माना जाता है।
- **स्रोत:** यह 1900 के बाद की तीसरी सबसे बड़ी सुनामी थी, जो 30 किमी समुद्र तल के नीचे सुंडा ट्रेंच से उत्पन्न हुई।
- **भूकंपीय गतिविधि:** यह सुनामी 1,300 किमी की प्लेट सीमा को तोड़ने के कारण आई, जो सुमात्रा से कोको द्वीपों तक फैली हुई थी। इंडो-ऑस्ट्रेलियाई प्लेट बर्मा माइक्रोप्लेट के नीचे धंस गई, जो यूरेशियन प्लेट का हिस्सा है, और इसने सुनामी को जन्म दिया।

सुनामी (Tsunami):

- **परिभाषा:** सुनामी एक समुद्र की लहरों की श्रृंखला होती है, जो पानी के नीचे की गतिविधियों जैसे भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट, या भूस्खलन के कारण उत्पन्न होती है।
- **शब्दोत्पत्ति:** "सुनामी" शब्द जापानी शब्दों से लिया गया है: "tsu" (हैबर) और "nami" (लहर)।

सुनामी के कारण:

1. **समुद्र के नीचे के भूकंप:** सुनामी का सबसे सामान्य कारण (जैसे, 2004 का भारतीय महासागर सुनामी 9.1 की तीव्रता के भूकंप द्वारा उत्पन्न हुआ था)।
2. **ज्वालामुखी विस्फोट:** ज्वालामुखी विस्फोट के कारण पानी का अचानक विस्थापन (जैसे, 1883 का क्राकाटौआ विस्फोट)।
3. **भूस्खलन:** तटीय या समुद्र के नीचे के भूस्खलन से भी सुनामी उत्पन्न हो सकती है (जैसे, 2017 का कराट फजॉर्ड भूस्खलन, ग्रीनलैंड)।
4. **ग्रहीय टकराव:** यह दुर्लभ होता है, लेकिन उल्कापिंडों के टकराने से भी सुनामी उत्पन्न हो सकती है।

सुनामी की विशेषताएँ:

1. **निर्माण और उत्प्रेरण:** सुनामी मुख्य रूप से पानी की बड़ी मात्रा के अचानक विस्थापन से उत्पन्न होती है।
2. **गति और प्रसार:**
   - गहरे समुद्रों में, सुनामी 800 किमी/घंटा तक की गति से यात्रा कर सकती है, जो एक जेट विमान की गति के बराबर होती है।
   - जैसे-जैसे सुनामी तटीय जल क्षेत्र में प्रवेश करती है, इसकी गति कम हो जाती है।

लहरों की विशेषताएँ:

- **तरंगदैर्ध्य (Wavelength):** सुनामी की लहरें बहुत लंबी होती हैं, जो 500 किमी से अधिक हो सकती हैं।
- **लहर अवधि (Wave Period):** एक लहर से दूसरी लहर के बीच का समय 10 मिनट से 2 घंटे तक हो सकता है।
- **लहर की ऊंचाई (Amplitude):** गहरे पानी में, लहर की ऊँचाई सामान्यत: छोटी होती है (30-60 सेंटीमीटर)

शोअलिंग प्रभाव (Shoaling Effect):

- जैसे-जैसे सुनामी शैलो पानी में प्रवेश करती है, इसकी गति कम होती है और लहरों की ऊँचाई ऊर्जा संरक्षण के कारण अचानक बढ़ जाती है।
- तट के पास लहरों की ऊँचाई 10-30 मीटर या उससे अधिक तक पहुँच सकती है।

ऊर्जा संरक्षण: सुनामी समुद्रों के पार यात्रा करते हुए बहुत कम ऊर्जा खोती हैं, जिससे वे विशाल दूरियों तक नुकसान पहुँचाने में सक्षम होती हैं।

सुनामी का पर्यावरणीय और आर्थिक प्रभाव:

पर्यावरणीय प्रभाव:

- **पर्यावरणीय क्षति और प्रदूषण:** मैंग्रोव, प्रवाल भित्तियाँ और जंगलों की नष्ट होने से तटीय खतरों का खतरा बढ़ता है। सुनामी से समुद्र में प्लास्टिक और खतरनाक कचरे का घुसाव हुआ, जिससे प्रदूषण बढ़ा। उदाहरण: 2004 की सुनामी में श्रीलंका में 62,000 कुएं नष्ट हो गए, और इंडोनेशिया में 90% मैंग्रोव नष्ट हो गए।
- **जैव विविधता और भौगोलिक बदलाव:** सुनामी ने समुद्री प्रजातियों के आवासों को नष्ट किया और उत्तर ध्रुव को 2.5 सेंटीमीटर तक स्थानांतरित किया।

आर्थिक प्रभाव:

- **रोज़गार, बुनियादी ढांचा और आर्थिक हानि:** तमिलनाडु में 30,000 मछली पकड़ने वाली नावें नष्ट हो गईं, और बुनियादी ढांचे का भारी नुकसान हुआ। 2004 की सुनामी से 10 बिलियन डॉलर की हानि हुई।
- **पर्यटन और स्वास्थ्य पर असर:** पर्यटन स्थलों का नुकसान हुआ, और भीड़-भाड़ और जलजनित रोगों से स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ा।
- **कचरे का प्रबंधन:** Banda Aceh में सुनामी के बाद कचरे के निपटान में भारी संसाधन लगे।

U.S. and China S&T Agreement

हाल ही में, चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहयोग समझौते (Science and Technology Cooperation Agreement) को पांच और वर्षों के लिए नवीनीकरण करने पर सहमति व्यक्त की है।

S&T समझौता:

1. **समझौते का इतिहास:**
   - समझौता पहली बार 1979 में हस्ताक्षरित हुआ था।
   - इसके बाद से हर पांच साल में इसे नवीनीकरण किया जाता है।
2. **को-चेयर और कार्यकारी एजेंट नियुक्ति:**
   - अमेरिका और चीन दोनों देश अपने-अपने को-चेयर नियुक्त करते हैं।
   - दोनों देशों से एक-एक एजेंसी को 'कार्यकारी एजेंट' के रूप में नामित किया जाता है।
3. **अतिरिक्त प्रोटोकॉल और उप-समझौते:**
   - विभिन्न एजेंसियों के बीच अतिरिक्त प्रोटोकॉल हैं।
   - 40 उप-समझौते विभिन्न क्षेत्रों में किए गए हैं, जैसे कृषि, परमाणु संलयन आदि।
4. **नवीनीकरण के प्रावधान:**
   - नवीनीकरण में शोधकर्ताओं की सुरक्षा और डेटा पारस्परिकता को बढ़ावा देने के प्रावधान शामिल हैं।
   - सहयोग को बुनियादी शोध और अंतर सरकारी स्तर तक सीमित किया गया है।

2024 में समझौते में जो नए प्रावधान जोड़े गए:

1. **बुनियादी शोध तक सीमित:**
   - समझौता केवल बुनियादी शोध तक सीमित किया गया है और महत्वपूर्ण एवं उभरती तकनीकों में सहयोग से बचने का प्रयास किया गया है।
   - इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि संवेदनशील तकनीकों का उपयोग चीन द्वारा सैन्य या प्रतिस्पर्धी लाभ के लिए न किया जाए।
2. **शोधकर्ताओं की सुरक्षा के लिए प्रावधानों का सुधार**: शोधकर्ताओं की सुरक्षा और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए नए उपाय जोड़े गए हैं, ताकि दोनों पक्ष अपने-अपने शोध वातावरण की रक्षा करने के मानकों का पालन करें।
3. **डेटा पारस्परिकता और पारदर्शिता**: डेटा साझा करने में पारस्परिकता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए नए प्रावधान स्थापित किए गए हैं, जिससे बौद्धिक संपदा अधिकारों और डेटा के दुरुपयोग की चिंताओं को दूर किया जा सके।
4. **विवाद समाधान तंत्र:**
   - एक तंत्र जोड़ा गया है, जो किसी पक्ष द्वारा समझौते की शर्तों का उल्लंघन करने पर विवादों का समाधान करेगा, जिससे सहयोगी परियोजनाओं से उत्पन्न संभावित संघर्षों को नियंत्रित किया जा सके।
5. **समाप्ति खंड**: समझौते में एक खंड शामिल किया गया है, जो "बुरी नीयत कार्य" की स्थिति में प्रस्तावित परियोजनाओं को रद्द करने की अनुमति देता है, ताकि सहयोगात्मक ढांचे का दुरुपयोग रोका जा सके।

चीन और अमेरिका के बीच नवीनीकरण समझौते का महत्व:

1. **संयुक्त विकल्पों का सामना:**
   - अमेरिका के पास तीन विकल्प थे: समझौते को जैसा का वैसा पांच वर्षों के लिए नवीनीकरण करना, इसे रद्द करना, या इसमें नए प्रावधान जोड़कर नवीनीकरण करना। अमेरिका ने तीसरे विकल्प को चुना।
2. **बुनियादी शोध तक सीमित**: समझौता केवल इंटरगवर्नमेंटल स्तर पर, बुनियादी शोध तक और पारस्परिक लाभ के पहले से निर्धारित क्षेत्रों तक सीमित रहेगा।
3. **महत्वपूर्ण और उभरती तकनीकों का निषेध:**
   - समझौता स्पष्ट रूप से महत्वपूर्ण और उभरती तकनीकों से संबंधित काम को बाहर रखता है, और यह सुनिश्चित करता है कि चीनी पक्ष अमेरिकी सुरक्षा और शोधकर्ताओं की सुरक्षा से असमान लाभ नहीं उठा सके।

U.S. को चीन के साथ सहयोग से लाभ:

1. **चीनी शोध पारिस्थितिकी तंत्र तक पहुंच**: समझौते ने अमेरिकी शोधकर्ताओं को चीन के बढ़ते शोध पर्यावरण तक पहुंच प्रदान की है, जिससे दोनों देशों के वैज्ञानिक क्षेत्रों में सहयोगात्मक परियोजनाओं को संभव बनाया गया है।
2. **R&D निवेश में वृद्धि**: इस सहयोग ने दोनों पक्षों के अनुसंधान और विकास निवेश में महत्वपूर्ण वृद्धि का योगदान दिया है, विशेष रूप से चीन के R&D खर्च में 1979 से अब तक भारी वृद्धि हुई है।
3. **संयुक्त शोध अवसर**: STA (विज्ञान और प्रौद्योगिकी समझौता) ने संयुक्त शोध पहलों को बढ़ावा दिया है, जिसने कृषि, स्वास्थ्य, पर्यावरण विज्ञान और अन्य क्षेत्रों में प्रगति की है, जिससे दोनों देशों को साझा ज्ञान और नवाचार से लाभ हुआ है।
4. **शैक्षिक आदान-प्रदान**: इस समझौते ने दोनों देशों के छात्रों और वैज्ञानिकों के बीच आवागमन को बढ़ावा दिया है, जिससे शैक्षिक आदान-प्रदान हुआ है और विभिन्न स्तरों पर समझ और सहयोग को बढ़ावा मिला है।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग / National Human Rights Commission

हाल ही में, भारत के राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायधीश न्यायमूर्ति वी. रामासुब्रमणियम को तीन साल की अवधि के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) का 9वां अध्यक्ष नियुक्त किया है। इसके साथ ही, प्रियंक कनोणगो और सेवानिवृत्त न्यायधीश विद्युत रंजन सारंगी को भी NHRC के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है।

मुख्य बिंदु:

1. **NHRC अध्यक्ष का पद:** NHRC अध्यक्ष का पद 1 जून 2024 से रिक्त था, जब न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा का कार्यकाल समाप्त हुआ था। तब से कार्यवाहक अध्यक्ष विजया भारती सयानी आयोग का संचालन कर रही थीं।
2. **न्यायमूर्ति रामासुब्रमणियम:** न्यायमूर्ति रामासुब्रमणियम, जो अब तक NHRC के दूसरे अध्यक्ष हैं, जिन्होंने कभी भारत के मुख्य न्यायधीश के रूप में कार्य नहीं किया।
3. **विपक्ष की असहमतियां:** प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली उच्चस्तरीय समिति ने न्यायमूर्ति रामासुब्रमणियम की अध्यक्षता की सिफारिश की थी, लेकिन लोकसभा और राज्यसभा में विपक्षी नेताओं ने असहमति व्यक्त की थी।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) के बारे में:

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) को 12 अक्टूबर 1993 को भारतीय संविधान के तहत स्थापित किया गया था। यह आयोग मानवाधिकारों की रक्षा और प्रचार-प्रसार के लिए कार्य करता है। यह आयोग मानवाधिकार सुरक्षा अधिनियम (PHRA), 1993 के तहत स्थापित हुआ, जिसे 2006 में संशोधित किया गया।

NHRC का उद्देश्य और कार्य:

- **मानवाधिकार उल्लंघनों की जांच करना।**
- **कानूनी सुरक्षा में सुधार के लिए सिफारिशें करना।**
- **मानवाधिकारों को बढ़ावा देने के लिए शोध और शिक्षा को बढ़ावा देना।**
- **एनजीओ के समर्थन के लिए कार्य करना।**
- **राष्ट्रपति को वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना।**

आयोग को भारतीय संविधान के तहत सभी नागरिक न्यायालयों की शक्तियां प्राप्त हैं। यह 1999 से अपनी 'A' श्रेणी की मान्यता बनाए हुए है, हालांकि 2023 और 2024 में पहली बार इसकी मान्यता को दो साल के लिए निलंबित कर दिया गया था।

NHRC की संरचना:

1. एक अध्यक्ष और पाँच पूर्णकालिक सदस्य।
2. सात नियुक्त सदस्य (Deemed Members)।
3. आयोग के सदस्य और अध्यक्ष राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, जिनकी सिफारिश एक समिति करती है। इस समिति में निम्नलिखित सदस्य होते हैं:
    - **प्रधानमंत्री (अध्यक्ष)**
    - **लोकसभा अध्यक्ष**
    - **गृह मंत्री**
    - **लोकसभा और राज्यसभा के विपक्षी नेता**
    - **राज्यसभा के उपाध्यक्ष**

2019 का संशोधन:

- NHRC अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायधीश या न्यायधीश में से कोई भी हो सकता है।
- कम से कम एक सदस्य महिला होनी चाहिए।
- अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 5 साल से घटाकर 3 साल या 70 वर्ष की आयु (जो भी पहले हो) कर दिया गया है।
- पुनर्नियुक्ति की सीमा हटा दी गई है।

निष्कर्ष:

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग मानवाधिकारों की रक्षा और संवर्धन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। न्यायमूर्ति रामासुब्रमणियम की अध्यक्षता में आयोग के कार्यों में और प्रभावशीलता आने की उम्मीद है।

"GET READY FOR A WILD RIDE OF KNOWLEDGE !"

SUBSCRIBE OUR NEW YOUTUBE CHANNEL

ANKIT AVASTHI

Video will be upload soon !

RRB NTPC
TEST SERIES
100+ Mock Test
78 Sectional Test
40+ years PYPs
60+ Current affairs
TEST
Only
99
Per
Year
Buy Now

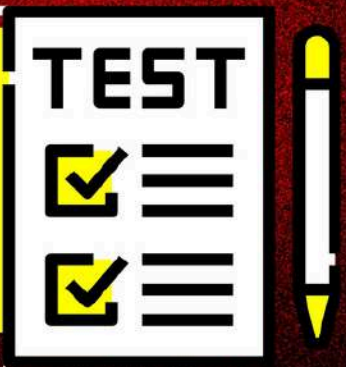

GA FOUNDATION

Hand Written Notes

Apni Pathshala
एक कदम उज्ज्वल भविष्य की ओर

Ankit Inspires India

₹ Only 1999

4 पुस्तकों का सम्पूर्ण सेट

अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें....

7878158882

APNI PATHSHALA

UPPSC,RO/ARO,BPSC,UP TEST SERIES

UPPSC
(TEST SERIES)
- 35+ MOCK TESTS
- 40+ PYQ'S
- 180+ TOPIC WISE TEST
- 60+ CURRENT AFFAIRS

ONLY 299/- YEAR

RO/ARO
(TEST SERIES)
- 50+ MOCK TESTS
- 30+ PYQ'S
- 10+ TOPIC WISE TEST
- 65+ CURRENT AFFAIRS

ONLY 299/- YEAR

BPSC
(TEST SERIES)
- 50+ MOCK TESTS
- 30+ PYQ'S
- 10+ TOPIC WISE TEST
- 65+ CURRENT AFFAIRS

ONLY 299 YEAR

SSC (TEST SERIES)
- 30 MOCK TESTS
- 28+ YEAR PYP
- 12 SECTIONAL TEST
- 60+ CURRENT AFFAIRS

ONLY 99/- YEAR

RPF (TEST SERIES)
- 40 MOCK TESTS
- 2 YEAR PYQ'S
- 4 SECTIONAL TEST
- 10 PRACTICE TEST
- 60 CURRENT AFFAIRS

ONLY 99/- YEAR

Download | Application

Apni Pathshala

7878158882

Apni.Pathshala Avasthiankit

AnkitAvasthiSir kaankit

ANKIT AVASTHI SIR

NCERT COMPLETE

FOUNDATION BATCH

FOR ALL

- POLITY
- ECONOMICS
- HISTORY
- GEOGRAPHY

- DAILY LIVE CLASSES
- , WEEKLY TEST
- CLASSES PDF (HINDI+ENGLISH)
- LIVE DOUBT SESSIONS
- DAILY PRACTISE PROBLEM

Rs 4999/-

Apni Pathshala 7878158882 Apni.Pathshala kaankit AnkitAvasthiSir Avasthiankit

ONLY
POLITY
1499
RS
DAILY LIVE CLASSES
, WEEKLY TEST
CLASSES PDF (HINDI+ENGLISH)
LIVE DOUBT SESSIONS
DAILY PRACTISE PROBLEM
Apni Pathshala 7878158882
Apni.Pathshala
kaankit
AnkitAvasthiSir
Avasthiankit

SSC TEST SERIES

CGL, CHSL, MTS, CET, CPO, GD,

Stenographer (Grades C & D)

Only at

99/-Year

Enroll Now !